



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165711

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 45930 वर्ष 2025

साबिर और 5 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : बिपिन कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : नीरज कुमार चौरसिया, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आज दाखिल पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री बिपिन कुमार, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार चौरसिया की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री पवनेश कुमार तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
3. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपया निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा करे:-

(i) समझौता दिनांक 08.10.2025 के दृष्टिगत, आपराधिक वाद संख्या 17668/9 सन् 2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 75 सन् 2024 (राज्य बनाम साबिर एवं अन्य), धारा 147, 148, 323, 324, 498-ए, 504 एवं 506 भा.दं.सं., थाना-ककरौली, जनपद-मुजफ्फरनगर से उत्पन्न हुआ है और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 2, मुजफ्फरनगर के न्यायालय में लंबित है, की आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

(ii) समझौता दिनांक 08.10.2025 के दृष्टिगत, आपराधिक वाद संख्या 17668/9 सन् 2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 75 सन् 2024 (राज्य बनाम साबिर एवं अन्य), धारा 147, 148, 323, 324, 498-ए, 504 एवं 506 भा.दं.सं., थाना-ककरौली, जनपद-मुजफ्फरनगर से उत्पन्न हुआ है, में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 2, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 08.07.2025 को निरस्त किया जाए।”

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है। आवेदकों ने पक्षकारों के मध्य हुए समझौते की शर्तों के आधार पर कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन दायर किया था। इस न्यायालय ने दिनांक 20.11.2025 के आदेश द्वारा पक्षकारों को पक्षकारों तथा



समझौता आवेदन के सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.12.2025 द्वारा पक्षकारों तथा समझौता आवेदन, दोनों का सत्यापन किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने मामले में समझौता कर लिया है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और इस प्रकार प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध उपर्युक्त मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को आगे चलने दिया जाता है, तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथन की सत्यता अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सत्यता पर विवाद नहीं किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि उपर्युक्त वाद की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है, तो प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है।
6. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है, अतः आगे कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं है।
7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466**, **परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641**, **जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303** और **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन, (2019) 5 एससीसी 688** के मामलों में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा **शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2013 (83) एसीसी 278]** में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में प्रतिपादित विधि की विस्तारपूर्वक व्याख्या की गई है।

8. मामले के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय सुविचारित मत रखता है कि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
9. तदनुसार, आपराधिक वाद संख्या 17668/9 सन् 2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 75 सन् 2024 (राज्य बनाम साबिर एवं अन्य), धारा 147, 148, 323, 324, 498-ए, 504 एवं 506 भा.दं.सं., थाना-ककरौली, जनपद-मुजफ्फरनगर से उत्पन्न हुआ है, की कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।
10. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

07 अगस्त, 2026

एम.डी. फैसल